रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML-2005.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 16 मई, 2005/26 वैशाख, 1927

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 28 अप्रैल, 2005

संख्या पी0 सी0 एन0-एच0 ए0 (5) 74/81-8055-61.—क्योंकि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि पंचायती राज विभाग को अपने/ग्राम पंचायत निधि व्यय पर पंचायत घर पुजरावी (ब्योलिया) तहसील शिमला (ग्रामीण), जिला शिमला में भूमि अर्जित करना अपेक्षित है ;

अतः एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हैं/हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 (1) के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है । यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि उपरोक्त भूमि पर पंचायत घर पहले ही निर्मित है । इसलिए इस भूमि का अर्जन जनहित में अपरिहार्य है ।

429-राजपत्र/2005-16-5-2005—1,435

मूल्य : एक रुपया ।

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा इस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

अत्याधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (ए) के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे ।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव/स्थान	खसरा नं0	क्षेत्र स्कवेयर यार्ड में
शिमला	शिमला (ग्रामीण)	मौजा कसुम्पटी-जुन्गा	201	75.40

आदेश

शिमला-171009, 30 अप्रैल, 2005

संख्या पीसीएच-एचए (5)-8296-8302.—यह कि जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला द्वारा श्री जरम सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत कमनाला, विकास खण्ड नूरपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश को सरकारी धनराशि के दुरुपयोग में संलिप्त होने के आरोप में उनके कार्यालय आदेश संख्या पंच-के0 जी0 आर0-ई-1445-50, दिनांक 24-3-2004 द्वारा प्रधान, ग्राम पंचायत, कमनाला के पद से निलम्बित किया गया था;

यह कि मामले की वास्तविकता जानने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 के अन्तर्गत खण्ड विकास अधिकारी, रैत, जिला कांगड़ा को उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला द्वारा कार्यालय आदेश संख्या पंच-के0जी0आर0-ई-(15) 8/91-4747, दिनांक 13-9-2004 को जांच सौंपी गई थी ;

यह कि जांच अधिकारी द्वारा की गई विस्तृत जांच रिपोर्ट निदेशालय में प्राप्त हुई तथा प्राप्त जांच रिपोर्ट में दर्शाए गए तथ्यों का बारीकी से अध्ययन करने उपरान्त जो आरोप उनके विरुद्ध सिद्ध पाए गए उनका विवरण निम्न है :—

क्र0 सं0	निर्माण कार्य का नाम अथवा प्रयोजन	स्वीकृत राशि	प्रधान द्वारा प्राप्त राशि	निर्माण कार्य पर रिकार्ड अनुसार व्यय राशि	मूल्यांकन	दुरनियोजन राशि	कार्य की प्रगति अथवा स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	निर्माण डंगा नाला ठाना राकेश भारती ।	6000/-	4000/-	5,965/-	—	5,965/-	स्वीकृत योजना अनुसार मौका पर कार्य नहीं हुआ है ।
2.	निर्माण प्रोटैक्शन पुली रास्ता ठाना राकेश भारती ।	15000/-	10,000/-	14,869/-	—	14,869/-	-यथा-

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	निर्माण रास्ता शिव मन्दिर से बलवंत सिंह के घर तक।	15,000/-	14,990/-	14,990/-	14,018/-	972/-	स्वीकृत योजना अनुसार मौका पर कार्य नहीं हुआ है।
4.	निर्माण रास्ता मुस्लमाना जसूर।	10,000/-	9,983/-	9,983/-	5,466/-	4,517/-	कार्य पूर्ण पाया गया।
5.	निर्माण रास्ता मुख्तीहाल।	11,000/-	11,599/-	11,599/-	9,511/-	2,088/-	-यथा-
6.	निर्माण रास्ता कमनाला लोहारा।	50,000/-	47,347/-	47,347/-	38,350/-	8,997/-	कार्य पूर्ण पाया गया।
7.	निर्माण रास्ता शिव मन्दिर से पीपलू टी।	25,000/-	24,948/-	24,948/-	22,949/-	1,999/-	स्वीकृत योजना अनुसार मौका पर कार्य नहीं हुआ है।
		1,33,000/-	1,22,867/-	1,29,701/-	90,294/-	39,407/-	

इसके अतिरिक्त शिव मन्दिर निर्माण कार्य हेतु खाद्यान्न क्रय करते हुए कुल मु0 12,164.65 रुपये की राशि का दुरुपयोग किया है। इस प्रकार श्री जरम सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत, कमनाला द्वारा कुल मु0 39,407+12,164.65=51,571.65 रुपये की सरकारी धनराशि का दुरुपयोग तथा छलहरण किया गया है;

अतः यह कि, जांच रिपोर्ट पर विचार करने उपरान्त श्री जरम सिंह, प्रधान (नि0), ग्राम पंचायत कमनाला द्वारा बर्ती गई वित्तीय अनियमितताओं तथा मु0 51,571.65 रुपये की राशि के दुरुपयोग किए जाने के फलस्वरूप इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 22-3-2005 के अन्तर्गत उन्हें निष्कासनार्थ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि क्यों न उन्हें प्रधान पद से निष्कासित किया जाए तथा 15 दिनों के भीतर अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर प्रदान किया गया;

अतः यह कि, श्री जरम सिंह, प्रधान (नि0), ग्राम पंचायत कमनाला द्वारा प्रस्तुत उक्त कारण बताओ नोटिस के उत्तर से सरकार सन्तुष्ट नहीं हुई, क्योंकि उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं है। जिसके फलस्वरूप श्री जरम सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत, कमनाला, को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(1) के अन्तर्गत विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं तथा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में आपत्तिजनक कार्यकलाप के फलस्वरूप दोषी पाए जाने के कारण उन्हें प्रधान पद से हटाया जाना उचित है।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अधीन जो कि उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(1) के अन्तर्गत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए श्री जरम सिंह, प्रधान (नि0), ग्राम पंचायत कमनाला, विकास खण्ड नूरपुर, जिला कांगड़ा को उक्त कृत्य के लिए प्रधान पद से तुरन्त निष्कासित किया जाता है तथा छः वर्ष की कालावधि के लिए उक्त अधिनियम की धारा 146(2) के अन्तर्गत पंचायत पदाधिकारी के रूप में निर्वाचन के लिए निरर्हित किया जाता है।

शिमला-9, 4 मई, 2005

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0(5)/2001-8421-27.— यह कि उपायुक्त ऊना, जिला ऊना ने उनके कार्यालय पत्र संख्या पंच-ऊना (4)-13/89-1548-1552, दिनांक 31-12-2004 के अनुसार सूचित किया है कि श्री गिरधारी लाल, प्रधान, ग्राम पंचायत बढेडा राजपूतां से वर्ष 1985 से 1990 तक प्रधान, ग्राम पंचायत बढेडा राजपूतां के पद पर रहते हुए पंचायत समिति गगरेट में ग्रामों की नीलामी से सम्बन्धित बकाया राशि कुल मु0 37,443/- रू0 ब्याज सहित मु0 1,38,539/- रु0 की राशि वसूली हेतु लम्बित है । उक्त राशि की वसूली हेतु श्री गिरधारी लाल को खण्ड विकास अधिकारी, गगरेट तथा उपायुक्त, ऊना द्वारा निरन्तर नोटिस जारी किये गए परन्तु फिर भी उक्त प्रधान द्वारा इतनी लम्बी अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी ग्रामों की नीलामी की बकाया वसूली राशि पंचायत समिति खाते में जमा नहीं करवाई । इसके अतिरिक्त दिसम्बर 2000 में पुनः प्रधान, ग्राम पंचायत बढेडा के पद पर चुनाव हेतु मिथ्या घोषणा करके नामांकन पत्र दाखिल किया और प्रधान, ग्राम पंचायत बढेडा राजपूतां के पद पर चुने गये ।

यह कि श्री गिरधारी लाल, प्रधान द्वारा उपरोक्त वसूली राशि को पंचायत समिति खाते में जमा न करके तथा मिथ्या घोषणा करके हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) (ञ) व (ढ) के अन्तर्गत अयोग्यता अर्जित करने के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(1) (क) के अन्तर्गत इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 22-2-2005 के अन्तर्गत उन्हें निष्कासनार्थ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि क्यों न उन्हें प्रधान पद से निष्कासित किया जाये तथा 15 दिनों के भीतर अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर प्रदान किया गया ।

अतः यह कि, श्री गिरधारी लाल द्वारा प्रस्तुत उक्त कारण बताओ नोटिस के उत्तर से सरकार सन्तुष्ट नहीं हुई, क्योंकि उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं है । जिसके फलस्वरूप श्री गिरधारी लाल, प्रधान, ग्राम पंचायत बढेडा राजपूतां, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना को हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(1) (क) के अन्तर्गत अयोग्यता अर्जित करने के फलस्वरूप उन्हें प्रधान पद से हटाया जाना आवश्यक है ।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अधीन जो कि उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए श्री गिरधारी लाल, प्रधान, ग्राम पंचायत बढेडा राजपूतां, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना को उक्त कृत्य के लिए प्रधान पद से तुरन्त निष्कासित तथा छः वर्ष की कालावधि के लिए उक्त अधिनियम की धारा 146(2) के अन्तर्गत पंचायत पदाधिकारी के रूप में निर्वाचन के लिए निरर्हित करते हैं ।

आदेश,

हस्ताक्षरित/-
सचिव ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित